

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा (संशोधन) योजना, 2024 के अंतर्गत 02 श्रमिकों को स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रितों को रु० 50,000/- (पचास हजार रुपए) प्रति कामगार की दर से भुगतान हेतु रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) अर्थात् कुल राशि रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उक्त प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है।

अतः 02 मृतकों/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम संबंध/दावेदार, आधार सं०,	श्रम अधिकार का पत्रांक/दिनांक	पता/ मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० मालती देवी, 46, अशोक बैठा, अनु० जाति	अशोक बैठा (पति)	45, 12.01. 2026 289, 18.03. 2026	ग्रा०-जलालपुर, पो०-नेचुआ जलालपुर, थाना+प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज मो०-9102610125	3108 3181 47	CBI, CBIN02 81314	रु० 50,000 /- (पचास हजार रुपए)	स्वामावि क मृत्यु, खेतिहर मजदूर
2	स्व० सरोज देवी, 39, मनेजर राम, अनु० जाति	मनेजर राम (पति)	48, 12.01. 2026 289, 18.03. 2026	ग्रा०-वरवौ वृत्त, पो०-नेचुआ जलालपुर, थाना+प्र०-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज मो०-7570015334	3758 7015 404	SBI, SBIN00 06024	रु० 50,000 /- (पचास हजार रुपए)	स्वामावि क मृत्यु, खेतिहर मजदूर

कुल रु० 1,00,000/-
(एक लाख रुपए)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण, समिति श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग बिहार पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०स०-28/2025 - 158

पटना, दिनांक :- 18/06/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार,

पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 1,00,000/- (एक लाख रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। उप श्रमायुक्त/श्रम अधीक्षक, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

Signed by Rohit Kumar

Date: 15-06-2026 13:00:19

(रोहित कुमार),

मुख्य वित्त पदाधिकारी

Rajesh Bharti

(राजेश भारती),

कार्यकारी निदेशक।